इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोटिंग की सुवधा बैंक उपलब्ध करायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग

क) यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक , अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।

ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग (इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने वोट देने हेतु कर सकता/सकती है/सकते हैं।

घ) बैंक ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया है।

ङ) मतदान अधिकार की गणना **कट-ऑफ तिथि** अर्थात 7 मार्च, 2018 को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में **कट-ऑफ तिथि** 07 मार्च, 2018 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और **कट-ऑफ तिथि** 07 मार्च, 2018 को शेयरधारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है :
बैंक को isd@corpbank.co.in पर या शेयरधारिता के प्रमाणीकरण के साथ डाक द्वारा लिखे या कार्वि कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को ई-वोटिंग की समाप्ति के पर्याप्त पहले vlakshmi.p@karvy.com पर ई-मेल करें।

ज) रिमोट ई-वोटिंग **09 मार्च, 2018** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **12 मार्च, 2018** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। **07 मार्च, 2018 (कट-आफ तिथि)** को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट इ-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

झ) संयुक्त धारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/यूजर आईडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयरधारक को भेजे गए यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

त) **मेसर्स इजेडवाई लॉज, मुंबई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट** (बार काउंसिल पंजीयन सं. **एमएएच/5718/2011**) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

थ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैठक में हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात असाधारण महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा ।

Voting through Electronic Voting System

The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.

VOTING THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM

a) In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Extra Ordinary General Meeting (EGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility to cast his/her/their vote at the meeting, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the **cut-off date** i.e. 7th March, 2018, subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date**, i.e. 7th March, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the **cut-off date** i.e. 7th March, 2018, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

   by wirting to the Bank at isd@corpbank.co.in or by post to the Bank with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **9th March, 2018** (10:00 a.m.) and ends on **12th March, 2018** (5:00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 7th March, 2018 **(cut off date)**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

i) In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) **Mr. Ankur Kumar, Advocate** (Bar Council Registration No. **MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai**, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

l) The Scrutinizer shall unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Extraordinary General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

द) घोषित परिणाम को मतपत्र–निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट **www.corpbank.com** तथा कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि **13 मार्च, 2018** को जारी मान लिया जायेगा।

न) **रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित अनुदेश तथा अन्य सूचनाएँ :**

रिमोट ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ई–मेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और **'https://evoting.karvy.com'** में नैविगेट करें।

ii) ई–मेल में/उपस्थिति पर्ची पर उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र– आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: क) एनएसडीएल के लिए:– 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिए:– 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए **ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.** की टोल फ्री सं.18003454001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0–9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्यौरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। **इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।**

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई–वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई–वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई–वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन 'FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुनें।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को 'CONFIRM' करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolution shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. **13th March, 2018.**

o) **Instructions and other information relating to remote e-voting:**

The instructions for remote e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd.- the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to **https://evoting.karvy.com**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail /on the Attendance slip. Your folio/DP ID, Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form: a) For NSDL :- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form: • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of **e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,** for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल के ज़रिए **evoting@karvycom.** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezylaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name-------------------EVEN----------" फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. यदि किसी शेयरधारक को असाधारण महासभा (ईजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):

i. एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर)

यूज़र आईडी पासवर्ड

ii. कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक ख ए (i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com.** The file should be named in the format of "the body corporate Name-------------------EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM) [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the EGM:

EVEN (E-Voting Event Number)

USER ID **PASSWORD**

ii. Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).